

न्यायालय : अतुल बिल्लौरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

क्रमांक / 446 / 2025

मंदसौर, दिनांक 31.10.2025

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह नवम्बर, दिसंबर 2025 एवं जनवरी 2026 ::—

— :: जिला मुख्यालय—मंदसौर ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह— नवम्बर 2025	माह— दिसंबर 2025	माह— जनवरी 2026
1	श्रीमती रोहिणी तिवारी जे.एम.एफ.सी.	09-11-2025	--	11-01-2026
2	श्री राज कुमार त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी.	16-11-2025	07-12-2025 28-12-2025	--
4	श्रीमती प्राची पांडे माटा जे.एम.एफ.सी.	15-11-2025	06-12-2025	01-01-2026
5	श्रीमती रुचि पटेलिया अशौरा जे.एम.एफ.सी.	05-11-2025	--	03-01-2026 04-01-2026
5	श्रीमती श्वेता सिंह जे.एम.एफ.सी.	01-11-2025 30-11-2025	14-12-2025	17-01-2026
6	सुश्री पूर्वी गुप्ता जे.एम.एफ.सी.	23-11-2025	25-12-2025	25-01-2026 26-01-2026
7	श्री काशीष माटा जे.एम.एफ.सी.	02-11-2025	20-12-2025 21-12-2026	18-01-2026

—::तहसील मुख्यालय—नारायणगढ़ ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह— नवम्बर 2025	माह— दिसंबर 2025	माह— जनवरी 2026
1	श्रीमती प्रतिभा सोलंकी जे.एम.एफ.सी.	01-11-2025 02-11-2025 09-11-2025 23-11-2025	06-12-2025 07-12-2025 14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025	11-01-2026 25-01-2026 26-01-2026
2	श्री एकाग्र वतुर्वेदी जे.एम.एफ.सी.	05-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 30-11-2025	25-12-2025 28-12-2025	01-01-2026 03-01-2026 04-01-2026 17-01-2026 18-01-2026

::तहसील मुख्यालय-सीतामऊ ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह- नवम्बर 2025	माह- दिसंबर 2025	माह- जनवरी 2026
1	श्री विनीत साकेत, जे.एम.एफ.सी.	09-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 23-11-2025	06-12-2025 07-12-2025 28-12-2025	01-01-2026 11-01-2026 17-01-2026 18-01-2026
2	सुश्री सुभांगी तिवारी, जे.एम.एफ.सी.	01-11-2025 02-11-2025 05-11-2025 30-11-2025	14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025	03-01-2026 04-01-2026 25-01-2026 26-01-2026

- ::तहसील मुख्यालय-गरोठ ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह- नवम्बर 2025	माह- दिसंबर 2025	माह- जनवरी 2026
1	श्रीमती कविता संगम सिंह जे.एम.एफ.सी.	01-11-2025 05-11-2025 15-11-2025 23-11-2025	06-12-2025 14-12-2025 21-12-2025	01-01-2026 04-01-2026 17-01-2026 25-01-2026
2	श्री संगम सिंह जे.एम.एफ.सी.	02-11-2025 09-11-2025 16-11-2025 30-11-2025	07-12-2025 20-12-2025 25-12-2025 28-12-2025	03-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 26-01-2026

- ::तहसील मुख्यालय-भानपुरा ::-

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह- नवम्बर 2025	माह- दिसंबर 2025	माह- जनवरी 2026
1-	श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरगाड़े जे.एम.एफ.सी.	01-11-2025 02-11-2025 05-11-2025 09-11-2025 15-11-2025 16-11-2025 23-11-2025 30-11-2025	06-12-2025 07-12-2025 14-12-2025 20-12-2025 21-12-2025 25-12-2025 28-12-2025	01-01-2026 03-01-2026 04-01-2026 11-01-2026 17-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 26-01-2026

माह नवंबर एवं दिसंबर 2025 एवं जनवरी-2026 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उस दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन **माह नवंबर एवं दिसंबर 2025 एवं जनवरी-2026** में क्रमशः सुश्री पूर्वी गुप्ता, श्रीमती श्वेता सिंह एवं श्री काशीष माटा/सुश्री सुभांगी तिवारी, श्री विनीत साकेत एवं सुश्री सुभांगी तिवारी/श्री एकाग्र

चतुर्वेदी, श्रीमती प्रतिभा सोलंकी एवं श्री एकाग्र चतुर्वेदी/श्रीमती कविता रांगम सिंह, श्री रांगम सिंह एवं श्रीमती कविता रांगम सिंह/श्री गुरुवेंद्र सिंह हुरमाडे के द्वारा किया जावेगा, यदि उनका भी अवकाश/मुख्यालय पर अनुपस्थित होने के आलोक में कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जाएगी।

नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी, किन्तु आकस्मिकता एवं अपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)

पृ.क.:- 447...../2025

मंदसौर, दिनांक 31.10.2025

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय मंदसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारात अनुभाग मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिरटम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामऊ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई मेल/मेसेज के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

(अतुल बिल्लौरे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर (म.प्र.)